1.5.2014 से 5 आर्थ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 194/36-3-2014-07(न्यू0वे0)/04, दिनांकः 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक आधार वर्ष (2001=100) माह **जुलाई,** 2012 से **दिसम्बर,** 2012 के **औसत** 216 (**मात्र दो सौ सोलह**) अंको के ऊपर **जुलाई,** 2013 से **दिसम्बर,** 2013 के **औसत अंक** 239 (**मात्र दो सौ उन्तालीस**) पर दिनांक 01.04.2014 से **दिनांक** 30.09.2014 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय है:-

दृष्टांत :- रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 239 पर **दिनांक** 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$\frac{(239-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0 } 612.27 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक	
			दिनांक 28.01.2014 से दिनांक 31.03.2014 तक	दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी(रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	266.20	612.27	6362.27	244.70
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	292.82	673.50	6998.50	269.17
3	कुशल	7085.00	328.01	754.42	7839.42	301.52

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है ।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानें।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों जिनमे नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाऐं भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।

c/janter/DA